Gyanvividha, Vol.-2; Issue-4 (Oct.-Dec.) 2025 : PP-319-326

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-2.25
Vol.-2; Issue-4 (Oct.-Dec.) 2025
Page No.-319-326
©2025 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

डॉ. केशव कुमार सोनी

पीएच.डी.-राजनीति विज्ञान,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

Corresponding Author :

डॉ. केशव कुमार सोनी

पीएच.डी.-राजनीति विज्ञान,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.

14वीं लोकसभा (2004-2009) में दलीय स्थिति एवं पक्ष व विपक्ष की मुख्य प्रवृत्तियाँ

शोध सारांश : साल 2004 के 14वें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 'इंडिया शाइनिंग' का नारा असफल रहा और कांग्रेस सत्ता में लौटी। कांग्रेस की जीत भाजपा के लिए करारा झटका थी क्योंकि साल 1999 में जीत के बाद पहली बार भाजपा केंद्र में पांच साल सरकार चलाने में सफल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने जहां 1999 का चुनाव 'विदेशी सोनिया' बनाम 'स्वदेशी वाजपेयी' पर लड़ा था, वहीं 2004 के आम चुनाव में पार्टी ने शाइनिंग इंडिया और फील गुड का नारा दिया, लेकिन चुनाव नतीजे आने पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनाव में कांग्रेस को 145 सीटें मिलीं। जबकि भाजपा के खाते में 138 सीटें आई। सीपीएम के खाते में 43 सीटें गई और सीपीआई 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव में सबसे ज्यादा 435 उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से 19 प्रत्याशियों ने ही जीत दर्ज की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 प्रत्याशी चुनाव जीते। कांग्रेस ने बसपा, सपा और लेफ्ट फ्रंट के सहयोग से सरकार बनाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर इनकार करने के बाद, पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रस्तुत शोधपत्र में 14वीं लोकसभा (2004-2009) में दलीय स्थिति एवं पक्ष व विपक्ष की मुख्य प्रवृत्तियों का सांगोपांग विवरण प्रस्तुत किया गया है।

शब्द संकेत - लोकतंत्र, राजनैतिक दल, गठबंधन सरकार, धर्मनिरपेक्ष दल, क्षेत्रीय दल।

शोध पत्र : आधुनिक भारत में संसदीय और राष्ट्रपति आधारित लोकतंत्र राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ही सार्थक हो सकता है। संविधान के अनुसार भारत का ढांचा अर्धसंघीय है और सरकार का प्रारूप संसदीय है। स्वतंत्रता के पश्चात् पांच से अधिक दशकों तक न्यून वैचारिक अंतर वाले अनेक राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। संविधान निर्माताओं ने

कैबिनेट सरकार वाले संसदीय लोकतंत्र का मॉडल गहन विचार मंथन के पश्चात् अपनाया था, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व के विचार के कारण वह भारत के लिए सर्वथा अनुकूल था। लोकतंत्रीय व्यवस्था में गठबंधन, बहुदलीय व्यवस्था की अनिवार्य शर्तों का सीधा परिणाम है। गठबंधन की सरकार तभी संभव है जब सदन में अनेक राजनीतिक दल अपने प्रमुख मतभेदों को दूर रखकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसे मंच पर एक साथ आ जाएं।

गठबंधन के लिए अंग्रेजी शब्द 'कोअलिशन' लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ साथ चलना या बढ़ना होता है, इस शब्द की व्याख्या यह भी है कि 'कोअलिशन' का अर्थ किसी एक निकाय या गठबंधन में बंधना या एकजुट होना होता है। राजनीतिक अर्थ में इसका उपयोग राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक समूहों के मध्य बने अस्थाई गठबंधन के लिए किया जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर देवनाथन लिखते हैं कि, "गठबंधन ऐसी सहकारी व्यवस्था है, जिसमें अलग-अलग राजनीतिक दल या ऐसे दलों के सभी सदस्य सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं।"[1]

मई, 2004 ई. को 14वीं लोकसभा अस्तित्व में आई। 14वीं लोकसभा के निर्वाचन परिणाम, ऐतिहासिक तथा युगांतकारी थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी नीत जनतांत्रिक गठबंधन ने इस आशा में 14वीं लोकसभा के समयावधि पूर्व निर्वाचन कराये कि देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हैं तथा वह एक बार पुनः लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेगें। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राजनीतिक समीक्षकों, विश्लेषकों तथा अध्येयताओं का भी यही आँकलन था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ही लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेगी। माना जाता है कि बीजेपी ने 2003 के आखिर में राज्यों के विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए यह निर्णय लिया गया था। 2003 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। सरकार ने चुनाव से पहले 'इंडिया शाइनिंग', 'भारत उदय' और 'फील गुड' जैसे नारे लगाए। 'रथयात्री' लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर भारत उदय रथयात्रा निकाली। लेकिन चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा। भाजपा को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिलना तो दूर, उसकी सीटें 13वीं लोकसभा की तुलना में भी कम हो गई। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल घटक दलों को भी नुकसान उठाना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्वाचन परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अपने दल तथा अपने दल के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पराजय को विनम्रता से स्वीकार करते हुए, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। निश्चित रूप से, 14वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए अत्यंत अनुकूल रहे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत निराशाजनक सिद्ध हुए और उनकी पुनः सत्ता में आने की आशाओं पर तुषारापात हो गया।

❖ भाजपा-कांग्रेस को किन राज्यों में मिली कितनी सीटें? : कांग्रेस को चुनाव में यूपी से 9 सीटें और बिहार से 3 सीटें मिलीं। आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस ने 29 सीटें और गुजरात में 12 सीटें जीतीं। दिल्ली में कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आईं। जबकि महाराष्ट्र में पार्टी ने 13 सीटें जीतीं। इसी तरह, भाजपा ने यूपी में सिर्फ 10 सीटें जीतीं और बिहार में पार्टी के खाते में पांच सीटें आई। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें और राजस्थान में 21 सीटें जीतीं। भाजपा ने कर्नाटक में 18 सीटें और मध्यप्रदेश में 25 सीटें जीतीं। अरुणाचल और असम में भाजपा ने दो सीटें और हरियाणा व हिमाचल में एक-एक सीट जीती। कांग्रेस ने असम में नौ सीटें और हिमाचल प्रदेश में तीन सीटें जीतीं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के खाते में सिर्फ चार सीटें गईं। पंजाब में पार्टी ने दो और उत्तराखंड से एक सीट जीती।[2]

❖ 14वीं लोकसभा (2004-2009) में दलीय स्थिति :

14वीं लोकसभा की दलीय स्थिति

क्रमाँक	दल का नाम	विजयी सीट
1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस)	141
2.	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)	130
3.	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (भाकपा)	43
4.	समाजवादी पार्टी (सपा)	36
5.	राष्ट्रीय जनता दल (राजद)	24
6.	बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	17
7.	द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक)	16
8.	शिव सेना	12
9.	बीजू जनता दल (बीजद)	11
10.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकपा)	11
11.	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (भाकपा)	10
12.	शिरोमणि अकाली दल (शिअद)	08
13.	जनता दल (युनाईटेड) (जदयू)	08
14.	निर्दलीय (नि)	06
15.	पट्टाली मक्कल कच्ची (पमक)	06
16.	झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)	05
17.	तेलंगाना राष्ट्र समीति (टीआरएस)	05
18.	लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)	04
19.	मरुमालरची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (एमडीएमके)	04
20.	तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा)	04
21.	ऑल इंडिया फ़ॉरर्वड ब्लॉक (फ़ॉरर्वड ब्लॉक)	03
22.	जनता दल (सेक्यूलर) (जद (स))	03
23.	राष्ट्रीय लोकदल (रालोद)	03
24.	क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (आरएसपी)	03
25.	असम गण परिषद् (अगप)	02
26.	जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी)	02
27.	केरल कांग्रेस (केईसी)	02
28.	अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम)	01
29.	अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (तृणमूल कांग्रेस)	01
30.	भारतीय नवशक्ति पार्टी (बीएनपी)	01
31.	जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी (जे एंड के पी डी पी)	01
32.	मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ)	01
33.	मुस्लिम लीग-केरल राज्य (एमएलकेएससी)	01

34.	नागालैंड पीपुल्स पार्टी (एनपीएफ)	01
35.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोप)	01
36.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई)	01
37.	सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा (एसडीएफ)	01

Source:- https://en.wikipedia.org/wiki/14th_Lok_Sabha Accessed on 04:42 P.M. 26 August 2025.

चौदहवीं लोकसभा में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दलों की संख्या अधिक थी। यह संख्या सदन के स्पष्ट बहुमत से भी कहीं अधिक थी। इन राजनीतिक दलों में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल, बहुजन समाज पार्टी तथा जनता दल (यूनाइटेड) जैसे राष्ट्रीय दलों को शामिल किया जा सकता है। प्रादेशिक दलों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड मुनेत्र कडंगम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल, तेलुगुदेशम, जनता दल (सेक्युलर), तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, एमडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, टीआरएस, केरल कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कांग्रेस को शामिल किया जा सकता है।[3]

संविद या गठबंधन सरकारों के क्रम में धर्मनिरपेक्ष दल, भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पुनः सत्ताह में आने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे। साथ ही वे केंद्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्ष सरकार को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इस तरह की अवधारणा रखने वाले अनेक दलों का राज्यों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस के साथ संघर्ष था। फिर भी उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में गठित होने वाली केंद्र की धर्मनिरपेक्ष सरकार का, सरकार में शामिल हुए बिना, उसे बाहर से समर्थन देने का निर्णय लिया।[4] जहां केंद्र में अनेक धर्मनिरपेक्ष दल, कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का समर्थन कर रहे थे, वहां कतिपय धर्मनिरपेक्ष दल- जनता दल (यूनाइटेड), बीजू जनता दल, तेलुगु देशम् तथा तृणमूल कांग्रेस इस सरकार के विरोध में थे। इसका कारण इन दलों से प्रभावित राज्यों में इनका संघर्ष, कांग्रेस तथा उनके सहयोगी दलों से था। उदाहरण के लिए एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगू देशम का मुख्य चुनावी संघर्ष कांग्रेस से था। बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का मुख्य चुनावी संघर्ष राष्ट्रीय जनता दल नीत गठबंधन से था, जिसमें कांग्रेस भी एक मुख्य घटक थी। उड़ीसा में बीजू जनता दल का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही था। तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडंगम का भी मुकाबला, द्रविड मुनेत्र कडंगम नीत मोर्चे से ही था, जिसमें कांग्रेस भी एक सहयोगी दल था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी से था, अतः इस दल का विरोध करना स्वाभाविक ही था। तमिलनाडु में अन्ना द्रविड मुनेत्र कडंगम को लोकसभा में तो एक भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु राज्यसभा में इसका प्रतिनिधित्व था।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन द्वारा लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने की प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि इस गठबंधन में शामिल दलों की लोकसभा में कुल संख्या 218 थी और इस गठबंधन में शामिल दलों को कुल 35.4 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। इस गठबंधन का समर्थन करने वाले मार्क्सवादी साम्यवादी दल नीत वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे को लोकसभा में 59 स्थान तथा 7.5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। दोनों गठबंधनों को संयुक्त करने पर यह संख्या 272 हो जाती है, जो लोकसभा में स्पष्ट बहुमत से अधिक थी। इन दोनों गठबंधनों के अतिरिक्त इसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल (सेक्युलर) और छोटे दलों तथा निर्दलियों का भी समर्थन प्राप्त था। इस अनुकूल स्थिति में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त

होना स्वाभाविक ही था। यह कांग्रेस के इतिहास की एक अभिनव घटना थी, जबकि इसके नेतृत्व वाली अल्पमतीय सरकार ने अन्य दलों के समर्थन से लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली वह पहली संविद् सरकार या गठबंधन सरकार थी, जिसे उसके धुर विरोधी रहे राजनीतिक दलों ने समर्थन देकर उसे लोकसभा का 'विश्वास मत' प्राप्त करने में सक्षम बनाया। यह भारतीय राजनीति में एक अभिनव प्रयोग था।[5] भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, उसका विरोध करने वाले दलों ने केंद्र की कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पक्ष में मतदान किया। गैर कांग्रेसी दलों ने सरकार में शामिल होने के स्थान पर, इसे बाहर से समर्थन दिया। यद्यपि इन दलों का तर्क, केंद्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन करने के लिए इस सरकार का समर्थन करना था, परंतु यथार्थ में, उनका यह 'राजनीतिक निर्णय' था।

2004 के इस लोकसभा निर्वाचन से पूर्व अनेक दल भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो गए थे, परिणाम स्वरुप अब इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगूदेशम् तथा शिरोमणि अकाली दल (बादल) ही शेष रहे थे। इस गठबंधन को लोकसभा में 181 स्थान तथा 33.3 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे। स्पष्ट था कि इसके पूर्व के लोकसभा निर्वाचन की तुलना में इसे बहुत कम स्थान प्राप्त हुए थे तथा यह अपने बलबूते पर कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को अपदस्थ करने की स्थिति में नहीं रहा।

❖ कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग), लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के रूप में:- 14वीं लोकसभा में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सबसे बड़े गठबंधन के रूप में स्थान बनाने में सफल रहा। इस गठबंधन का नेतृत्व इसके सबसे बड़े दल, कांग्रेस द्वारा करना स्वाभाविक ही था। गठबंधन के अन्य दलों में- राष्ट्रवादी कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेलंगाना राष्ट्रसमिति, एमडीएमके, पीएमके, नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी, केरल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी (अठावले) तथा मुस्लिम लीग प्रमुख थे। इन दलों की संयुक्त संख्या, लोकसभा में किसी दल अथवा गठबंधन की तुलना में अधिक थी। अतः निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में आ गया।

❖ डॉ. मनमोहन सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण:-

The President Dr. A.P. J. Abdul Kalam administering the oath of office of the Prime Minister to Dr. Manmohan Singh at a Swearing-in Ceremony in New Delhi on May 22, 2004 (Saturday).

Source:-https://venkatarangan.com/blog/2004/05/dr-manmohan-singh-became-indias-13th-prime-minister/ Accessed on 11:20 P.M. 01 October 2025.

कांग्रेस संसदीय दल द्वारा डॉ. मनमोहन सिंह को नेता चुने जाने के बाद, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल अन्य घटक दलों के नेताओं ने भी, डॉ. मनमोहन सिंह को सरकार का गठन करने में अपने-अपने दलों के लिखित पत्र, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद को सौंप दिए। राष्ट्रपति ने लोकसभा में कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सदस्य संख्या पर विश्वास करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। देश के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह चौथा अवसर था, जबकि राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके पूर्व तत्कालीन राष्ट्रपतियों ने श्रीमती इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा तथा इंद्रकुमार गुजराल ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई थी।

❖ 14वीं लोकसभा में पक्ष व विपक्ष की मुख्य प्रवृत्तियाँः- 2004 से 2009 तक की चौदहवीं लोकसभा की समय अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों की स्थिति और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैंः-

1. चौदहवीं लोकसभा के अस्तित्व में आने के पूर्व तक भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार संचालन में प्रधानमंत्री वाजपेई ने केंद्र में संविद् राजनीति को नए आयाम प्रदान किए, परंतु चौदहवीं लोकसभा में स्थिति एकदम विपरीत थी। भाजपा नीत राष्ट्रीय गठबंधन अब विपक्ष के स्तर पर थी, निर्वाचन में पराजय ने भारतीय राजनीति में एक युग का अंत कर दिया।
2. चौदहवीं लोकसभा के निर्वाचन के पूर्व ही कांग्रेस ने अपनी विचारधारा में मौलिक परिवर्तन करते हुए एकदलीय सरकार की अवधारणा का परित्याग करते हुए गठबंधन या संविद राजनीति को आत्मसात् कर लिया, इस प्रकार प्रादेशिक दल या राज्य स्तरीय दल सदन में विपक्ष के स्तर से ऊपर उठकर अब केंद्रीय राजनीति का भाग बन गए।
3. चौदहवीं लोकसभा में केंद्र में भिन्न-भिन्न विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों से युक्त संविद् सरकार बनी, राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह विपक्षी विषयों व विचारधाराओं में एकीकरण का संकेत था।

"चौदहवीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सदन में विपक्ष के रूप में अनेक अवसरों पर सक्रिय विरोध का आचरण किया।"[6] यथा दागी मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के प्रश्न पर लोकसभा में भारी प्रतिरोध की स्थिति बनी तथा गैर कांग्रेसी दलों ने इनको मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग की। नई सरकार के गठन के पश्चात् श्रीमती सोनिया गांधी देश की सर्वाधिक शक्तिशाली राजनेता के रूप में उभरी, वहीं उन्हें इस लोकसभा में भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में उन्हें 'सत्ता का गैर- संवैधानिक केंद्र', 'बिना उत्तरदायित्व के निर्वाह किये सरकार की सारी शक्तियों का उपभोग करने', 'प्रधानमंत्री पर अवमूल्यन करने' जैसे आरोप लगाए। तथापि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उक्त सभी आरोपों का खंडन किया फिर भी गैर कांग्रेसी दलों की मुखरित आलोचना सदन में जारी रही। चौदहवीं लोकसभा की कार्याविधि में, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के संबंध भी सामान्य बने रहे। केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में सम्मिलित घटक दलों तथा इसका बाहर से समर्थन करने वाले घटक दलों का राज्यसभा में बहुमत होने के कारण, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों को भी राज्यसभा द्वारा सहजता से पारित कर दिया गया। फलस्वरुप, दोनों सदनों का कार्य प्रभावित नहीं हुआ तथा केंद्र सरकार को किसी असामान्य स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा।

नई लोकसभा के गठन के पश्चात, राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद् द्वारा तैयार अभिभाषण का संसद के संयुक्त सत्र में वाचन करते हैं, यह मान्य संसदीय परंपरा के अनुरूप ही होता है। इस अपवाद के अतिरिक्त, संसद का संयुक्त सत्र विशेष परिस्थिति में ही आहूत किया जाता है। चौदहवीं लोकसभा के कार्यकाल में सरकार को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सभी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए।

'लोकसभा में पूर्व की गठबंधन सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को उनकी अवधि के शेष रहते हुए ही पद से विस्थापित करने अथवा उन्हें त्यागपत्र देने के लिए विवश करने के कार्य की विपक्ष द्वारा आलोचना की गई। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की इसे "प्रतिशोध की राजनीति कहा, साथ ही साथ राज्यपाल पदों पर कांग्रेसजनों की नियुक्ति की निंदा करते हुए इसे सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुकूल बताया।"[7] दूसरी ओर, कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इस विस्थापन और नियुक्ति की प्रक्रियाओं को 'संविधान सम्मत' बताया। राज्यसभा में भी राज्यपाल पर आलोचना का विषय बना। चौदहवीं लोकसभा में गैर कांग्रेसी दलों ने बढ़ती महंगाई, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मुद्दों को सदन में मुखरता से उठाया। इन दलों का आरोप था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है। समय-समय पर इस मुद्दे को लेकर संसद में सरकार को घेरने की नीति का सहारा लेकर, संसदीय कार्य को भी बाधित करने का प्रयास हुआ है। घटनाओं तथा प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार की नीतियों के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया गया। संसद के दोनों सदनों में चर्चा का यह ज्वलंत विषय बना रहा। दूसरी ओर गठबंधन सरकार की विवशताओं तथा मार्क्सवादी साम्यवादी दल नीत वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे की 'दबावकारी नीति' के कारण, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों को त्वरित ढंग से लागू करने की दिशा में प्रभावी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इस विषम परिस्थिति पर गैर कांग्रेसी दलों द्वारा तीव्र आक्रोश प्रकट किया गया। ये तीनों मुद्दे संसद के दोनों सदनों में ज्वलंत बने रहे तथा सत्तारुढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सदस्यों तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों के मध्य आरोप प्रत्यारोप तथा नोंकझोंक की राजनीति चलती रही।

विश्वासमत प्रस्ताव पर मत विभाजन और पार्टी व्हिप की अवहेलना भी चौदहवीं लोकसभा का आश्चर्यजनक संसदीय कार्य था, जब 2007 में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विश्वासमत प्रस्ताव के पक्ष में मत देने के लिए सदन में दबाव बनाया, परिणामस्वरुप लोकसभा अध्यक्ष नें विश्वासमत प्रस्ताव पर मत-विभाजन कराया। इस विश्वासमत प्रस्ताव के पक्ष में 279 मत पड़े और विरोध में 253 मत। 10 सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार आवश्यक 273 मतों के आंकड़े को प्राप्त करने में सफल रही। यह विश्वासमत अन्य दलों के सदस्यों द्वारा उसके पक्ष में पाला बदलने वाले लोकसभा सदस्यों के कारण प्राप्त किया। इस संबंध में इंडिया टुडे का विश्लेषण इस प्रकार था,"कांग्रेस का आंकड़ा 251 रह जाता, यदि 24 सांसदों ने पार्टी व्हिप की अवहेलना ना की होती। यूपीए का साथ देने की कई विपक्षी सांसदों की इच्छा ने ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विश्वास मत की राह आसान कर दी। ऐसा करने वाले सांसदों में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), जनता दल (एस), तेलुगूदेशम, एमडीएमके, बीजू जनता दल, एनपीएफ, शिरोमणि अकाली दल तथा शिवसेना के सदस्य सम्मिलित थे। इनमें सर्वाधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ही थी। इस विजय पर गैर कांग्रेसी दलों ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे देश के लोकतंत्र के इतिहास में 'काला अध्याय' बताया। इन दलों ने इसके लिए कांग्रेस को उत्तरदाई ठहराया।'[8]

चौदहवीं लोकसभा में कतिपय सदस्यों को अनैतिक आचरण के कारण निष्कासित और निलंबित भी किया गया। यथा ऑपरेशन दुर्योधन में 11 सांसदों को सदन में सवाल पूछने के लिए घूस लेते हुए दर्शाया गया, इनमें से सात सांसद विपक्षी दल भाजपा के ही थे। ये सभी सदन से निष्कासित कर दिए गए। इसी प्रकार ऑपरेशन चक्रव्यूह 2005 में हुए स्टिंग ऑपरेशन ने दिखाया कि एमपीलेड परियोजनाओं में सांसदों ने कमीशन मांगा। छह में से तीन अभियुक्त विपक्षी दल भाजपा के थे। चौदहवीं लोकसभा में इस प्रकार की घटनाओं को अशोभनीय ही माना जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं पूर्व की लोकसभाओं में नहीं देखी गई थी।

मूल्यांकन के रूप में कहा जा सकता है कि चौदहवीं लोकसभा के निर्वाचन के पूर्व के राजनीतिक समीकरणों

के परिवर्तन ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए। 2004 से 2009 तक के मध्य 1737 घंटे कार्य हुआ अर्थात् पूर्व की लोकसभाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कार्य हुआ तथापि कुछ संसदीय परंपराओं का क्षरण भी देखा गया।

निष्कर्षः- 2004 के चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व में UPA गठबंधन सत्ता में आयी। इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारें अब भारतीय राजनीति की स्थायी वास्तविकता बन चुकी हैं। DMK, RJD, NCP, वामदल, SP, BSP आदि जैसे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव चरम पर रहा। सरकार का स्थायित्व और कई नीति-निर्णय इन दलों की सहमति पर निर्भर थे, जिसने संसद में बहुदलीय संतुलन को और मजबूत कियज्ञं सरकार को सहयोगी दलों और बाहरी समर्थन देने वाले दलों के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ा।

इसी कारण इस अवधि में सामाजिक कल्याण और मध्यमार्गी आर्थिक नीतियाँ प्रमुख रहीं-जैसे मनरेगा, RTI और ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए विपक्ष में था और उसने नीतिगत मुद्दों पर सरकार को चुनौती दी, परन्तु विपक्ष समग्र रूप से एकजुट नहीं रहा। आतंकवाद,महँगाई,किसानों की समस्याएँ और राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण बहसों के केंद्र में रहे। संसदीय बहसों, लोकहित से जुड़े कानूनों और सरकारी नीतियों पर विस्तृत चर्चा ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को सक्रिय रखा। सरकार पर निरंतर दबाव और निगरानी ने शासन को अधिक जवाबदेह बनाया।

संदर्भ सूची :

1. देवनाथन, डी. (1999). स्ट्रेंथनिंग कोअलिशन एक्सपेरिमेंट ऑफ सेंटर अ फ्यू सजेशंस. नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन. पृ. 26.
2. https://www.amarujala.com/india-news/lok-sabha-chunav-2004-know-everythings-about-2004-election-congress-bjp
3. https://en.wikipedia.org/wiki/14th_Lok_Sabha
4. शरण, पी. (1975). भारतीय शासन व राजनीति. मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन. पृ. 382.
5. गुप्ता, चंद्रकांत. (1981). लोकसभा में विपक्ष की भूमिका. काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस (अप्रकाशित शोध प्रबंध). पृ. 06.
6. नया भारत, मई 17, 2015. पृ. 05.
7. सिंह, महेंद्र प्रताप. (2011). भारतीय शासन एवं राजनीति. नई दिल्ली: ओरिएंटल प्रेस स्वान. पृ. 18.
8. इंडिया टुडे, सितम्बर, 2008. पृ. 15-18.

•